<u>न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश(एन०डी०पी०एस०प्रकरण),झालावाड़ (राजस्थान)</u>

पीठासीन न्यायाधीश-**बरकत अली**, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>आप0वि0 जमानत आवेदन सख्या-112/2026</u>

<u>CiS No. 72/2026</u>

मुर्शरफ पुत्र वहीद बेग, उम्र-28 साल, निवासी घुरपुरा मोहल्ला, झालावाड, हाल साकेत नगर, झालावाड, पुलिस थाना कोतवाली, झालावाड, जिला-झालावाड (राज.)

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य.....**अप्रार्थी/अभियोगी**

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्राथमिकी संख्या-118/2026 थाना कोतवाली झालावाड, अपराध अन्तर्गत धारा 8/20, 29 NDPS Act

<u>उपस्थितः-</u>

1-श्री जकिर बेग, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2-श्री शैलेन्द्र सिंह पंवार, विशिष्ठ लोक अभियोजक, राजस्थान राज्य की ओर से।

<u>आदेश</u> **<u>दिनांक 11.03.2026</u>**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना-पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थना-पत्र की नकल विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक को दिलायी गयी। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

2- अभियोजन कहानी के अनुसार संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है दिनांक 27.02.2026 को कमलेश कुमार शर्मा, थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली झालावाड मय जाप्ता के थाने से रवाना होकर गश्त करता हुआ देवरीघटा तिराहा के पास एनएच-52 पर नाकाबंदी कर रहा था कि दौराने नाकाबंदी सुकेत की तरफ से एक मोटर साईकिल स्पलेण्डर सी.डी.डिलक्स आर.जे.-17-एस.बी-5432 को रोका तो मोटर साईकिल चालक ने मोटर साईकिल को मोडने का प्रयास किया, जिनको जाब्ता की मदद से अवरूद्व किया जाकर नाम पता पूछा तो मोटर साईकिल चालक ने अपना नाम मुर्शरफ तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम आशिफ होना बताया। उक्त व्यक्तियों की शंका के आधार पर नियमानुसार तलाशी ली तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली तथा उनकी मोटर साईकिल की तलाशी ली तो

मोटर साईकिल के बेग में रखी पोलीथीन की थैली में से पोलीथीन की थैली सहित 100 ग्राम 16 मिलीग्राम मादक पदार्थ चरस बरामद हुई, जिसे सीलचिट किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। मोटर साईकिल को जब्त किया गया। बाद किये जाने मौके की कार्यवाही वापसी थाना पर मुकदमा नंबर-118/2026, धारा-8/20, 29 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया। प्रकरण अनुसंधानाधीन है।

3- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसको झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का जब्तशुदा मादक पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना र्निमूल नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 27.02.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में है, अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके सामाजिक व पारिवारिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पडने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

4- विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि दिनांक 27.02.2026 को कमलेश कुमार शर्मा, थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली झालावाड द्वारा अभियुक्तगण मुर्शरफ तथा आशिफ के कब्जे के बेग में रखी पोलीथीन की थैली में से 100 ग्राम 16 मिलीग्राम मादक पदार्थ चरस बरामद की गई है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत का आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5- उभय पक्ष के तर्को को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

6- प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 27.02.2026 को कमलेश कुमार शर्मा, थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली झालावाड द्वारा अभियुक्तगण मुर्शरफ तथा आशिफ के कब्जे के बेग में रखी पोलीथीन की थैली में से 100 ग्राम 16 मिलीग्राम मादक पदार्थ चरस बरामद की गई थी। अभिलेख के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से निम्नाकिंत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैः-

क्र.सं.	नाम थाना	मुकदमा नम्बर	धारा	सी.एस. न. मय दिनांक	फैसला
01	कोतवाली, झालावाड	649/2020	13 आर.पी.जी.ओ.	428/28.10.2020	लोक अदालत में विड्रो
02	कोतवाली, झालावाड	692/2020	385, 506/34 भा.दं.सं.	521/19.11.2022	पैण्डिग कोर्ट

यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध केस डायरी के अवलोकन से उपरोक्त 02 प्रकरण लम्बित होना दर्शित होता है, परन्तु उक्त प्रकरणों में से कोई भी प्रकरण एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबंधित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के सचेतन कब्जे से 100 ग्राम 16 मिलीग्राम मादक पदार्थ चरस बरामद बरामद की गई है, जो अल्प मात्रा से थोडा ही अधिक है। प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 27.02.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के अनुसंधान तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना निर्मूल नहीं है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मामले के तथ्यों परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

7- अतः प्रार्थी/अभियुक्त **मुर्शरफ** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस प्रकरण में स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस न्यायालय के संतोषप्रद स्वंय का मुचलका तादादी 1,00,000/-रूपये तथा 50,000-50,000/-राशि की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जावे।

(बरकत अली)
विशिष्ठ न्यायाधीश
(एन०डी०पी०एस० प्रकरण)
झालावाड़

8- आदेश आज दिनांक 11.03.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(बरकत अली)
विशिष्ठ न्यायाधीश
(एन०डी०पी०एस० प्रकरण)
झालावाड़

<u>प्रमाण-पत्र</u>

निर्णय में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

MIRZA MOHAMMAD HUSSAIN
Digitally signed by MIRZA MOHAMMAD HUSSAIN
Date: 2026.03.11 16:16:06 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिये है। सत्यापित प्रतिलि-

पि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।